KGS IAS

PART – 4

UNION

Article – 79 – 151

82. Readjustment after each census —

Upon the completion of each census, the allocation of seats in the House of the People to the States and the division of each State into territorial constituencies shall be readjusted by such authority and in such manner as Parliament may by law determine: Provided that such readjustment shall not affect representation in the House of the People until the dissolution of the then existing House: 5 [Provided further that such readjustment shall take effect from such date as the President may, by order, specify and until such readjustment takes effect, any election to the House may be held on the basis of the territorial constituencies existing before such readjustment:

82. प्रत्येक जनगणना के पश्चात् पुनः

समायोजन—प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोक सभा में स्थानों के आबंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन- क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद् विधि द्वारा अवधारित करेः

परन्तु ऐसे पुनः समायोजन से लोक सभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान लोक सभा का विघटन नहीं हो जाता हैः

5[परन्तु यह और कि ऐसा पुनः समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे और ऐसे पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक लोक सभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचनत-क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो ऐसे पुनः समायोजन के पहले विद्यमान हैः

लोकसभा (House of People)

Single - कुल संख्या

- (i) 550
- (ii) 543 ✓

- (1) UP
- (2) Bihar

① फार्मूला (Formula)

543

(A) UP — Bihar ⟹ 80 — 40 ⟹ 1971 Base of Census - जनगणना आधार

जनसंख्या के अनुपात में समान

Allocations of seats should be in the proportionate acc. to population.

(B) राज्य के भीतर सभी लोकसभा सीटों का आकार समान होना चाहिए

80 →
- बारामती
- मेरठ
- गाजियाबाद

Constitutional Amendment

(A) 42nd Amendment (1976)

(B) 2000 के बाद की जनगणना

(C) 84th संविधान संशोधन

(D) 2026 के बाद

Delimitation commission

अध्यक्ष (chairperson)

1. न्यायाधीश (Judges)
2. सांसद (MP)
3. MLA (विधायक)
4. निर्वाचन आयुक्त (Election Commission)

(II) 1962

(III) 1972 — 1971 — 543

परिसीमन — Bihar — 50 — राज्य के आधार

(IV) 2002 — कुलदीप सिंह आयोग — 2001 — 87th — संविधान संशोधन

लोकसभा का चुनाव

ow of Lok Sabha

— जनप्रतिनिधित्व

धन - 1951 — Representation

plus Act — 1951

Past the Post

(आगे रहो तो विजेता)

आओ, पहले आओ

(A) — 5 lacs

(B) — 3 lacs

(C) — 2 lacs

(D) — 50 हजार

(E) 10 हजार

10 लाख - 60 हजार

लिस्ट सिस्टम

सूची प्रणाली (List system)

(A) BJP - 100	42%	42
(B) cong - 100	30%	30
(C) S.P. 100	20%	20
(D) BSP - 100	8%	8

गठबंधन

Coalition

Lok Sabha

- 543 = आरक्षण — Article 330
  - Reservation — SC/ST
- 106 वें संविधान संशोधन → 1/3 महिलाओं को आरक्षण (Reservation for the women)
- OBC/ST

83. Duration of Houses of Parliament —

(1) The Council of States shall not be subject to dissolution, but as nearly as possible one-third of the members thereof shall retire as soon as may be on the expiration of every second year in accordance with the provisions made in that behalf by Parliament by law.

83. संसद् के सदनों की अवधि—

(1) राज्य सभा का विघटन नहीं होगा, किन्तु उसके सदस्यों में से यथा संभव निकटतम एक – तिहाई सदस्य, संसद द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए उपबंधों के अनुसार, प्रत्ये द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे।